2021/365

न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या :/2021 GCMS No 2021/
दायरा तिथि : 25.10.2021
फैसला तिथि : 28.10.2021
प्रार्थीगण::–

ग्रामवासी पातावा जरिये हिम्मतराम पुत्र मोटाराम जाति जणवा चौधरी
निवासी पातावा तहसील–बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– **दिनांक 28.10.2021**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ग्रामवासीगण पातावा द्वारा कदीमी रास्ते को मौके पर मौजुद स्थिति के अनुसार नक्शे में शुद्धि बाबत् सम्पर्क पोर्टल व अन्य प्रस्तुत परिवादो के सबंध में प्रकरण संस्थापित कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से ली गई। पटवारी हल्का, सेवाडी एवं निरीक्षक भू0 अभिलेख सेवाडी ने मौके व रेकर्ड से जांच कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 874 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज जगह पर न होकर थोडा हटकर इसी खातेदारी भूमि में कदीमी रास्ता है, जो पिछले कई वर्षो से खेतो में आने जाने के लिये इस्तेमाल हो रहा हैं वर्तमान में उपलब्ध रास्ता रेकार्ड में दर्ज न होने के कारण सम्पर्क शिकायते और विवाद हुए है, इसलिये कदीमी रास्ते के लिये निम्नानुसार रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया:–

क्र0सं0	खसरा नंबर	किस्म	प्रभावित रकबा वर्गमीटर में	प्रभावित रकबा हैक्टर में
01	875	बारानी अव्वल	300X5=1500वर्गमीटर	0.1500
02	881	बारानी अव्वल	53X5=265वर्गमीटर	0.0265
03	882	बारानी अव्वल	66X5=330वर्गमीटर	0.0330
04	883	बारानी अव्वल	128X5=640वर्गमीटर	0.0640
05	904	बारानी अव्वल	244X5=1220र्गमीटर	0.1220
06	906	गै.मु. नाडी	80X5=400वर्गमीटर	0.0400
			4355 वर्गमीटर	0.4355

अपनी रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया गया कि प्रस्तावित (कदीमी) रास्ते के उपभोग में लिया गया रकबा और रेकार्ड में दर्ज रास्ता एक ही खाते से होने के कारण खाते के रकबे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त खसरो का 0.4355 हैक्टर रकबा गै.मु. रास्ता राजकीय दर्ज करना एवं खसरा नंबर 874 मेंसे रकबा 0.4355 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता को कदीमी रास्ता को मौका स्थिति के अनुसार रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 874 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता रेकर्ड में दर्ज है तथा नक्शे में भी दर्ज है, परन्तु नक्शे में दर्शित खसरा नंबर 874 मौके पर रास्ता नहीं होकर खातेदारान् की खातेदारी भूमि है, मौके पर रास्ता नक्शे में दर्ज स्थिति से हटकर है, जिससे उक्त रास्ता से गुजरने वाले लोगो को कठिनाई होने से परिवाद दर्ज किये जाते रहे है, जिसको अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये रेकर्ड शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की गई हैं। इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, themap and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or fileld and shall correct anyerrors wich are shown to have been madein such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to timein accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.**

राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में **नक्शा** (मानचित्र) के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी **नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार हैं।** इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के **अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार**– उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ–साथ **अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं** तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। **कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं।**

पेज लगातार....02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : /2021 GCMS No 2021/

अनवान ग्रामवासीगण पातावा जरिये हिम्मतराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ग्राम सेवाड़ी के खसरा नंबर 874 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता को मौके की स्थिति के अनुसार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत राजस्व नक्शे में संशोधन के आदेश दिये जाते हैं, तथा साथ ही ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 875, 881, 882, 883, 904, 906 मेंसे कुल रकबा 0.4355 हैक्टर मौका स्थिति अनुसार गैर मुमकीन रास्ता में जोड़ा जावे एवं इतना ही रकबा पुनः गै.मु. रास्ता खसरा नंबर 874 से कम करते हुये इन खातेदारान् की खातेदारी में दर्ज किया जावे। पटवारी हल्का सेवाडी व निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवाडी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक **28.10.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner